



बड़ौदा यू.पी. बैंक Baroda U.P. Bank

WEB NOTICE

शुद्धिपत्र / CORRIGENDUM

Recruitment of Retired Staff as Concurrent Auditor for FY 2021-2 Dated 15.01.2021

कृपया उक्त वेब नोटिस में निम्नानुसार सुधार कर पढ़ें।

शुद्धि पत्र में किये गये परिवर्तन के पश्चात तदनुरूप अपना आवेदन 23.02.2021 तक कर सकते हैं। पूर्व में जो मेवा निवृत्त स्टाफ आवेदन कर चुके हैं उन्हें अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

पारिश्रमिक:-

प्रति त्रैमास प्रति शाखा अनुमन्य पारिश्रमिक का विवरण निम्नवत है :-

रु. 10 करोड़ तक अग्रिम अवशेष वाली शाखायें	रु. 12000/- प्रति शाखा प्रति त्रैमास
रु. 10 करोड़ से अधिक परन्तु रु. 20 करोड़ तक अग्रिम अवशेष वाली शाखायें	रु. 13000/- प्रति शाखा प्रति त्रैमास
रु. 20 करोड़ से अधिक अग्रिम अवशेष एवं जिला मुख्यालय की शाखायें	रु. 15000/- प्रति शाखा प्रति त्रैमास

के स्थान पर निम्नवत पढ़ा जाय:-

प्रति मास प्रति शाखा अनुमन्य पारिश्रमिक निम्नवत है:-

रु. 10 करोड़ तक अग्रिम अवशेष वाली शाखायें	रु. 4000/- प्रति शाखा प्रति मास
रु. 10 करोड़ से अधिक परन्तु रु. 20 करोड़ तक अग्रिम अवशेष वाली शाखायें	रु. 4500/- प्रति शाखा प्रति मास
रु. 20 करोड़ से अधिक अग्रिम अवशेष एवं जिला मुख्यालय की शाखायें	रु. 5000/- प्रति शाखा प्रति मास

प्रति त्रैमास यात्रा व्यय का भुगतान निम्नवत विवरण के अनुसार किया जायेगा -

जिला मुख्यालय की शाखायें	कुछ नहीं
जिला मुख्यालय से 25 कि. मी. दूरी तक की शाखायें	रु. 1000/- प्रति शाखा प्रति त्रैमास
जिला मुख्यालय से 25 कि. मी. से अधिक परन्तु 50 कि. मी. तक की शाखायें	रु. 2000/- प्रति शाखा प्रति त्रैमास
जिला मुख्यालय से 50 कि. मी. से अधिक दूरी की शाखायें	रु. 3000/- प्रति शाखा प्रति त्रैमास

के स्थान पर निम्नवत पढ़ा जाय:-

प्रति मास प्रति शाखा अनुमन्य यात्रा व्यय निम्नवत है:-

जिला मुख्यालय की शाखायें	रु. 500/- प्रति शाखा प्रति मास
जिला मुख्यालय से 25 कि. मी. दूरी तक की शाखायें	रु. 1000/- प्रति शाखा प्रति मास
जिला मुख्यालय से 25 कि. मी. से अधिक परन्तु 50 कि. मी. तक की शाखायें	रु. 1500/- प्रति शाखा प्रति मास
जिला मुख्यालय से 50 कि. मी. से अधिक दूरी की शाखायें	रु. 2000/- प्रति शाखा प्रति मास

AM



बड़ौदा यू.पी. बैंक Baroda U.P. Bank

“संगामी लेखा परीक्षण के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी को पारिश्रमिक/ यात्रा व्यय का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा।”

“त्रैमासिक पारिश्रमिक / यात्रा व्यय का भुगतान का अनुरोध , सम्बंधित त्रैमास हेतु संगामी लेखा परीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रेषित जाना चाहिए।”


उक्त के स्थान पर निम्नानुसार पढा जाय:-

“संगामी लेखा परीक्षण के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी को पारिश्रमिक/ यात्रा व्यय का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा।”

“मासिक पारिश्रमिक / यात्रा व्यय का भुगतान का अनुरोध , सम्बंधित मास हेतु संगामी लेखा परीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रेषित जाना चाहिए।”

मासिक संगामी लेखा परीक्षण रिपोर्ट अगले माह की 7 तारीख तक संबन्धित शाखा एवं क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य नियम एवं शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।

भवदीय,


(अजय प्रताप सिंह)
महाप्रबंधक 